23/12-19 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकार
उपस्थित। वकील उभय पक्षकार की पूर्व में
की गई बहस को श्रवण किया। पत्रावली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण से पाया जाता है कि अपीलान्ट के दादा अमीत से वर्णित भूमि खसरा 3610 का मु० न० 106/22 की 6.1229 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में इकरारनामा दिनांक 10.10.95 की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए वाद पत्र मूल आवंटी के विरुद्ध पेश किया था जिसके खारिज होने पर अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल अपील रिट याचिका सं० 49/2003 पेश की गई जिसके विचाराधीन रहने के दौरान उक्त भूमि का नामान्तरण मूल आवंटी के वारिसान के पक्ष दर्ज हुआ और उसके बाद उक्त रिट याचिका के दौरान ही हुए बेचान के आधार पर अपीलकृत नामान्तरण दर्ज किया गया। अपील कृत नामान्तरण दर्ज करते समय तत्कालीन ~~स्वीकृति~~ में वर्णित भूमि जो कि अपीलार्थी के कब्जा काश्त में थी के सम्बन्ध में मौका की जांच एवं अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जिसके कारण प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण रेस्पोंडेन्ट्स की ओर उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष पेश किया। प्रस्तुत प्रकरण वकील अपीलार्थी ने मुख्य बिन्दु अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का पाया जाता है साथ ही अपीलकृत नामान्तरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक के कार्यवाही के विवरण में अंकन के सम्बन्ध में भी ग्राम पंचायत से प्राप्त कार्य.वा. रजि० की

फर्द अहकाम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रमाणित प्रति का अवलोकन किये जाने पर नामान्तरण स्वीकृति के आदेश मे ग्राम ~~ग्राम~~ पंचायत बैठक की कार्यवाही विवरण के पृष्ठ मे दर्ज कार्यवाही का विवरण दोनो अलग-अलग लिखावट मे दर्ज है। इससे भी पाया जाता है कि नामान्तरण स्वीकृति आदेश एवं कार्यवाही विवरण अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग समय मे दर्ज किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण वकील उभय पक्षकारो की बहस का मनन करके एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण अपीलकृत नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका प्रदान नही किया और उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत बैठक मे सही प्रक्रिया पूर्ण करते हुये नही किया जाना पाये जाने अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत पाया जाता है। अतः अपीलान्ट स्वीकार किया जाता अपील ~~अपील~~ मे अंकित नामान्तरण को ~~को~~ खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार (हुजूर) हाइलाक को प्रकरण रिमाण्ड करके निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट ~~को~~ को सुनवाई का समुचित अवसर –	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... जो इ... तामील
	प्रदान करते हुए नामान्तरण के सम्बन्ध में निर्धारित समुचित कार्यवाही करके – पुनः नामान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय पारित करें। इसी के साथ पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 23.12.19 को खुले में लिखवाया जाकर सुनाया गया। [signature] 23/12/19	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2019.12.26 14:36:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: